

(मूल वाद में डिक्री)(अंतिम)

डिक्री व मुकदमे इबतदाई

(आदेश 20 रूल्स 6-7 जाबता दीवानी)

(Civil Procedaur Code Appendix 'D' -I)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना जिला झुंझुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी :- सुनील कुमार चौहान आर.ए.एस.

1. रिसाल सिंह

2. जगमाल सिंह

3. चन्दागीराम

पुत्रात्र रामजसु जाहि जाट निवासी दाही भालोठ

बनाम

तहसीलदार बुहाना

दावा बाबत :-

नम्बरा 182/2021

मुकदमा नम्बर :-

182/2021

निर्णय दिनांक :-

8.11.2021

वादीगण की ओर से स्वयं

की व प्रतिवादी

की ओर से तहसीलदार की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 8.11.2021 को सुनील कुमार चौहान (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :-

" वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादे ग्राम दाही भालोठ तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं लिखत थूमि हाल खखग नम्बर 780/593, 781/593, 786/664, 787/664, 788/664 थूमि का नजरी नम्बरा (प्रदर्श-अ) के अनुसार नम्बरा 182 में तहसील डिपोजिट का आदेश दिया जाता है। अतः अनुसार यजस्व रिमांड में अमल दामड हेतु तहसीलदार बुहाना को तहसील जारी हो। "

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 8/11/2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर बुहाना
बुहाना जिला झुंझुनूं (राज.)